



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18042026-271896
CG-MH-E-18042026-271896

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1870]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2026/चैत्र 27, 1948

No. 1870]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2026/CHAITRA 27, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 16 अप्रैल, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20E के तहत

का.आ. 1940(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11)(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 13 फरवरी 2026 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 782 (E) तारीख 12 फरवरी 2026 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "धुले (बोरविहीर) - नरदाना नई लाईन" की विशेष रेलपरियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी ।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन सहायक जिलाधिकारी और उप मंडळ अधिकारी, धुळे भाग, धुळे ने दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात् "दैनिक उत्तर महाराष्ट्र" और "दैनिक सकाळ" में तारीख 28.02.2026 को प्रकाशित किया गया था ।

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले के अंतर्गत 1 गाँव का विशेष रेल परियोजना “धुले (बोरविहीर) – नरदाना नई लाईन” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गावाचे नाव	तालुका	7/12 नुसार भूधारकचे नांव	सर्व्हे नं. गट नं.	7/12 नुसार क्षेत्र (हे.आर.)		भूधारण पद्धत	संपादन करावया चे क्षेत्र (हे.आर.)
						ला. ला	पो.ख.		
1	21/2021	न्याहळोद	धुळे	बारकू गवा वाघ	429/1/ब	1.21	0.00	I	0.30
2	21/2021	न्याहळोद	धुळे	हिम्मत रामचंद्र माळी	429/2	0.93	0.00	I	0.42
3	21/2021	न्याहळोद	धुळे	लिलाधर एकनाथ माळी, किशोर एकनाथ माळी	460	3.11	0.00	I	0.67
					कुल	5.25 (हे.आर.)	0.00		1.39 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/Dhule-Nardana New Line/Nyahalod Vlg/20E]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th April, 2026

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 1940(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 782 (E) dated the 12th February 2026 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 13th February 2026 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and

operation of Special Railway Project, namely “**Dhule (Borvahir)–Nardana New Line**” in the district of **Dhule** in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in for Assitant Collector and Sub-Divisional Officer Dhule Division Dhule daily Marathi newspapers namely “**Dainik Uttar Maharashtra**” & “**Dainik Sakal**” dated 28-02-2026 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received.

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project “Dhule (Borvahir)–Nardana New Line” for 1 village in the District Dhule in the State of Maharashtra.

S. N.	Land Proposal No.	Village	Taluka	Land owner name according to 7/12 Extracts	Survey No./ Gatt No.	Area as per 7/12 Extracts (Ha.)		Land Holding Method	Area to be acquired (Ha.)
						La. La	P. Ha.		
1	21/2021	Nyahalod	Dhule	Baraku Gaba Wagh	429/1/B	1.21	0.00	I	0.30
2	21/2021	Nyahalod	Dhule	Himmat Ramchandra Mali	429/2	0.93	0.00	I	0.42
3	21/2021	Nyahalod	Dhule	Liladhar Eknath Mali, Kishor Eknath Mali	460	3.11	0.00	I	0.67
					Total	5.25 (Ha.)	0.00	-	1.39 (Ha.)

[F. No. G197/Dhule-Nardana New Line/Nyahalod VIg/20E]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)